गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2017 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2017 को अपरान्ह 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

01.	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
03.	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
04.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
05.	प्रो0 विशन सिंह राठौड़	सदस्य
06.	प्रो0 मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
07.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
08.	डॉ0 रेणु भट्ट	सदस्य
09.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
10.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
11.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
13.	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
14.	प्रो0 बी.एन. तिवारी (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.03.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.03.2017 के कार्यवृत्त में निम्नानुसार बिंदुओं को शामिल करते हुए संशोधित कर कार्यवृत्त की पुष्टि की गई –

1) बैठक दिनांक 16.03.2017 के कार्यवृत्त में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.03.2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि का उल्लेख नहीं हो पाया है। अतः पुष्टि का उल्लेख किया जाये तथा निम्न जानकारी अंकित की जाये –

   अ) विषय कमांक 08 एवं इस पर लिये गये निर्णय को इस बैठक हेतु लंबित रखा जाये तथा पुनर्विचार हेतु आगामी बैठकों में प्रस्तुत किया जाय।

   ब) विषय क्रमांक 11 में यह उल्लेख किया जाये कि अस्थायी शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान किया जाये तथा नियमित शिक्षकों को नियमानुसार अनुपातिक अर्जित अवकाश प्रदान किया जाये।

2) विषय कमांक 01 में CBCS प्रणाली के तहत ग्रेडिंग सिस्टम हेतु लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने का निर्णय लिया गया। सभी विभागाध्यक्षों एवं अधिष्ठाताओं की बैठक कराकर परीक्षा नियंत्रक उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे तथा उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तदोपरांत अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

3) शेष विषयों पर लिये गये निर्णय की पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 प्रस्तावित नवीन शुल्क संरचना पर विचार करना।

स्थायी समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रस्तावित नवीन शुल्क संरचना का अनुमोदन किया गया।

स्थायी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हास्टल के लिये शुल्क निम्नानुसार होगा –

प्रतिवर्ष शुल्क	6000.00
सुरक्षा राशि	2000.00 (एक बार)
कुल राशि रू.	8000.00

साथ ही समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त शुल्क संरचना नये प्रवेशार्थियों (सत्र 2017–18) पर लागू की जायेगी। अध्ययनरत छात्र/छात्राओं पर प्रचलित शुल्क संरचना ही लागू होगी।

विषय क्र. 03 सत्र 2017–18 के लिये प्रवेश हेतु प्रारूपित प्रवेश सूचना VET 2017-18 पर विचार।

स्थायी समिति द्वारा प्रस्तावित VET 2017-18 प्रवेश सूचना का अनुमोदन किया गया।

समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रवेश परीक्षा हेतु 02 अन्य परीक्षा केन्द्र नागपुर तथा जबलपुर में बनाया जाये। पर्याप्त संख्या में आवेदन न आने की स्थिति में नागपुर के परीक्षार्थियों को रायपुर तथा जबलपुर के परीक्षार्थियों को बिलासपुर परीक्षा केन्द्र आबंटित कर परीक्षा करायी जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया किया कि VET के दौरान प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक/मानदेय की राशि विगत वर्षों की भांति ही रखा जाकर भुगतान किया जाये।

विषय क्र. 04 श्री शान्तम अवस्थी, छात्र विधि विभाग के प्रकरण पर गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

स्थायी समिति के समक्ष जांच प्रतिवेदन युक्त बंद लिफाफा खोला गया। लिफाफा खोलने के उपरांत जांच प्रतिवेदन का वाचन किया गया एवं चर्चा उपरांत स्थायी समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. छात्र को नामांकन क्रमांक जारी किया जाये।
2. छात्र को आगामी परीक्षाओं में बैठाया जाये।
3. छात्र की लंबित रखी गई अंक सूचियां प्रदान की जायें।
4. छात्र को ATKT परीक्षा में बैठाने के लिए विशेष परीक्षा आयोजित किया जाये।
5. इस प्रवेश को आधार मानकर भविष्य में कोई भी प्रवेश न दिया जाये और ना ही इसे उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जाये। इस प्रकार के प्रवेश की पुनरावृत्ति ना हो।
6. इस पूरे प्रकरण पर जवाबदेही निर्धारण हेतु एक अन्य जांच समिति गठित की जाये।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय –

अ.अ.वि.क्र.1 विभिन्न विभागों के शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिये गठित की जाने वाली चयन समिति के विशेषज्ञों हेतु अधिष्ठाताओं द्वारा प्रदत्त पैनलों में अन्य विषय विशेषज्ञों के भी नाम शामिल किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

कुलपति / अध्यक्ष